न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कंसौटिया, (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 9 / 2023

अपीलार्थीगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
01. कमला सिंघल पत्नी शिवनारायण अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी 81, प्रथम ए रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर । 02. अनिल कुमार गोलेच्छा पुत्र श्री ओमप्रकाश गोलेच्छा, जाति जैन, निवासी जी—73—ए, शास्त्री नगर, जोधपुर ।		01. उदयसिंह पुत्र श्री मंशारामजी, जाति पुरोहित, निवासी खारावेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 02. श्रीमती तीजा कंवर पत्नी श्री अमरसिंह, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम खारावेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 03. ग्राम पंचायत खारावेरा पुरोहितान, जरिये सरपंच । 04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1390 जो ग्राम पंचायत खारावेरा पुरोहितान द्वारा दिनांक 21.11.2022 को अस्वीकृत किया गया ।

अधिवक्तागणः —

01.अपीलार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
02.रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की तरफ से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार
03.रेस्पोडेन्ट तीन बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित ।
04रेस्पोडेन्ट संख्या चार स्वयं उपस्थित।

निर्णय — दिनांक :— 19/2/2024

पत्रावली में बहस सुनी गयी। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम खारावेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 1132/497 की कुल रकबा 3.5612 हैक्टेयर यानि रकबा 22 बीघा कृषि भूमि के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो थे जिनमें से रेस्पोडेन्ट संख्या एक का 6/11 हिस्सा था एवं इसी प्रकार से रेस्पोडेन्ट संख्या दो का 5/11 हिस्सा था । रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्सा रकबा 12 बीघा में से रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा का बेचान अपीलाण्ट संख्या एक को एवं रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा का बेचान अपीलाण्ट संख्या दो को यानि अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान जरिये अलग अलग रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा दिनांक 06.06.2022 को कर दिया गया इसी प्रकार से रेस्पोडेन्ट संख्या दो द्वारा भी अपने हिस्से में से रकबा 07 बिस्वा का बेचान अपीलाण्ट संख्या दो को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा दिनांक 06.06.2022 को कर दिया गया जो कि उक्त तीनो बेचाननामें दिनांक 06.06.2022 को उपपंजीयक कार्यालय लूणी में पंजीबद्धसुदा हैं । उक्त कृषि भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या एक एवं दो द्वारा अपीलाण्ट को कर दिये जाने से रेस्पोडेन्ट के खातेदारी अधिकार उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1132/497 में बेचान करने के वक्त ही समाप्त हो गये थे एवं अपीलाण्ट को उक्त खसरें के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये एवं वक्त खरीद से ही अपीलाण्ट उक्त खरीदसुदा कृषि भूमियों पर बहैसियत खातेदार के मालिक काबिज हुए एवं समस्त प्रकार के कानूनी एवं मालिकाना अधिकार भी अपीलाण्ट को प्राप्त हो गये । उक्त तीनो बेचाननामों के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा अपना नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने के उद्देश्य से पटवारी हल्का से दिनांक 10.10.2022 को सम्पर्क किया गया एवं पटवारी हल्का को उक्त तीनो बेचाननामों की फोटो प्रतियां दे दी गयी । पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को आश्वस्त किया कि अपीलाण्ट के नाम से नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कायम कर दिये जायेंगे इस पर अपीलाण्ट आश्वस्त हो गये कि राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जावेंगा । दिनांक 27.04.2023 को अपीलाण्ट द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क किया गया कि एवं उसे कहा गया कि यदि अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया हो तो उसे जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति दी जावें जिस पर पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को बताया कि सरपंच द्वारा आपके नाम से दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1390 को

...एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

अस्वीकृत कर दिया गया हैं इस कारण से जमाबन्दी में उक्त नामान्तरकरण से अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया हैं एवं न ही अब किसी प्रकार से अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावेंगा क्योंकि उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत किया जा चुका हैं । नामान्तरकरण संख्या 1390 के अस्वीकृत कर दिये जाने से बेचानसुदा भूमि खसरा संख्या 1132/497 को पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के नाम से दर्ज कर दी गयी हैं जबकि कानूनन रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो उक्त बेचान की गयी कृषि भूमि के खातेदार ही नहीं हैं ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की प्रथम जानकारी में दिनांक 27.04.2023 को आते ही यह अपील उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अन्दर म्याद निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही हैं । ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण जैर अपील मनमाने ढ़ंग से अस्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण जैर अपील की अस्वीकृति हेतु कोई आधार ही नहीं था ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थीगण की खरीदसुदा भूमि भी रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम से उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत करने से पुनः दर्ज कर दी गयी, ग्राम पंचायत ने बिना किसी आधार के नामान्तरकरण जैर अपील अस्वीकार कर दिया । ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण जैर अपील अस्वीकार करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की एवं केवल मात्र बेचाननामें में विशिष्ट पड़ौस दर्शाये जाने का नोट अंकन करते हुए अस्वीकृत कर दिया जो कि काबिले खारिज योग्य हैं । विवादग्रस्त बेचान की गयी भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो का कोई कब्जा नहीं हैं बल्कि इस पर अपीलार्थीगण ही बहैसियत मालिक के काबिज हैं । नामान्तरकरण जैर अपील की अस्वीकृति से पूर्व कब्जें के बारें में कोई जॉच नहीं की गई एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज के आधार पर होने से भी अस्वीकृत कर दिया जो कि उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं । नामान्तरकरण जैर अपील की कार्यवाही करने एवं इसे अस्वीकार करने में हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तथा ग्राम पंचायत ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू लैण्ड रेकर्ड रूल्स की नितान्त अवहेलना की हैं इस कारण भी अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें । अन्य उजरात बरवक्त बहस एवं बाद देखने रेकर्ड माननीय न्यायालय की अनुमति से निवेदन किये जाने का निवेदन किया। अंत में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जावें एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1390 जो कि ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा दिनांक 21.11.2022 को निम्न नोट के जरिये अस्वीकृत किया गया हैं :–

प्रस्ताव संख्या –3 के अनुसार खरीददार द्वारा बेचाननामें में विशिष्ट पड़ौस दर्शाये जाने पर उपरोक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत किया जाता हैं ।

उक्त नोट को निरस्त किया जावें तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जावें कि रजिस्टर्ड दस्तावेजों के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1390 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्टगण का नाम दर्ज किया जावें ।

अपील के साथ ही अपीलाण्ट द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया।

उक्त अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की तरफ से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपना वकालतनामा पेश किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या तीन बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहें एवं रेस्पोडेन्ट संख्या चार स्वयं उपस्थित । रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो द्वारा अपना जवाब पेश करते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गयी । अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील एवं धारा 5 म्याद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो द्वारा भी अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का समर्थन करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया । अपील में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में पेश दस्तावेज अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर ग्राम पंचायत खाराबेरा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण अस्वीकृत किया गया हैं जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो जो कि स्वयं बेचानकर्ता हैं वे खुद उक्त बेचाननामों को सही मानते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने हेतु सहमत हैं ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती हैं ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1390 जो कि ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा दिनांक 21.11.2022 को निम्न नोट के जरिये अस्वीकृत किया गया हैं :—

प्रस्ताव संख्या —3 के अनुसार खरीददार द्वारा बेचाननामें में विशिष्ट पड़ौस दर्शाये जाने पर उपरोक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत किया जाता हैं ।

अतः—ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान के प्रस्ताव संख्या तीन के उक्त नोट के आदेश को निरस्त किया जाता हैं एवं तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते हैं कि नामान्तरकरण संख्या 1390 में वर्णित रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1390 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्टगण का नाम दर्ज किया जावें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(पुखराज कांसोटिया) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
लुणी, जिला जोधपुर।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner